सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **261/2018** दायर दिनाँक **07.06.2018**

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. कंचनदेवी पत्नी गोकलपुरी, उम्र–47साल, 2. मंजूदेवी पुत्री गोकलपुरी, 3. विनोदपुरी पुत्र गोकलपुरी, 4. गोरीदेवी पुत्री गोकलपुरी, 5. राकेश पुरी पुत्र गोकलपुरी, समस्त,जाति–गुसाई, उम्र–47साल, निवासी–छोटीखाटू, हालि,निवासी–मेड़तारोड़, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. मोहनपुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र–57साल, 2. रेवन्त पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र–23साल, 3. लक्ष्मण पुरी, पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र–41साल, 4. बरजी देवी पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र–41साल, समस्त,जाति–गुसाई, निवासी–छोटीखाटू, बस स्टेण्ड के पास, छोटूखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. गोकल पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी जाति–गुसाई, निवासी–छोटी खाटू, हाल,निवासी–मेड़तारोड़, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. पटवारी, हल्का–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0

उपस्थितः–

1. श्री हकीम खान वकील, वादी।
2. श्री सुरेन्द्र पुरी, वकील, प्रतिवादीगण

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **07.01.2019**

मूल वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि उक्त वाद पूर्व में खारिज हो चुका है तथा उक्त वाद की वही प्रकृति का वाद तथा वही खसरा संख्या 1485, 1486 का श्रीमान के यहां से खारिज हो चुका है। उक्त वाद एक बार खारिज हो चुका है तथा बार–बार वाद दायर करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है तथा उक्त वाद को श्रीमान खारिज फरमावें। अतः

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र निरस्त करने का आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी का जवाब दर0 हेतु कई अवसर दिये गये। परन्तु वकील वादी ने किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 की सीधी बहस सुनी गई।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में मुख्यत अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराया तथा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी कंचनदेवी का पति गोकलपुरी दिनांक 02.09.2005 से लापता है। जिसके संबंध में वादिनी ने मेडता रोड पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई थी। वादिनी ने अपने पति गोकलपुरी के सिविल डेथ का प्रमाण आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके अभाव में वादिनी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार कर वादिनी का वाद खारिज किया जावें। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादिनी का पति वर्ष 2005 से लापता है तथा आज दिनांक तक वापस नहीं आया है। वादिनी अपने पति की सम्पति में अपना हक हिस्सा रखती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 को कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीनी कंचनदेवी का पति गोकलपुरी दिनांक 02.09.2005 से लापता है। जिसके संबंध में वादिनी ने मेडता रोड पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई थी। वादिनी ने अपने पति गोकलपुरी के सिविल डेथ का प्रमाण आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीनी अपने पति के सिविल डेथ हेतु सिविल न्यायालय से मृत्यू प्रमाण पत्र प्राप्त कर पेश करें। प्रार्थीनी का पति जीवित है अथवा नहीं यह प्रमाण पत्र से ही स्पष्ट हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से वादिनी का वाद खारिज किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से वादिनी का वाद खारिज किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक **07.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **40/2017** दायर दिनाँक **11.03.2014**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कंचनदेवी पत्नी गोकलपुरी, उम्र—47साल, 2. मंजूदेवी पुत्री गोकलपुरी, 3. विनोदपुरी पुत्र गोकलपुरी, 4. गोरीदेवी पुत्री गोकलपुरी, 5. राकेश पुरी पुत्र गोकलपुरी, समस्त,जाति—गुसाई, उम्र—47साल, निवासी—छोटीखाटू, हालि,निवासी—मेड़तारोड़, तहसील—मेड़ता, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. मोहनपुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—57साल, 2. रेवन्त पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—23साल, 3. लक्ष्मण पुरी, पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—41साल, 4. बरजी देवी पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—41साल, समस्त,जाति—गुसाई, निवासी—छोटीखाटू, बस स्टेण्ड के पास, छोटूखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. गोकल पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी जाति—गुसाई, निवासी—छोटी खाटू, हाल,निवासी—मेड़तारोड़, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. पटवारी, हल्का—छोटीखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री हकीम खान, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **07.12.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.09 बीघा गैरमुमकिन बैरा व खसरा नम्बर 1486 रकबा 18.18 बीघा, स्थित है। नकल खतौनी सम्वत् 2066–2069 पेश है। वादी के पति का नाम सम्वत् 2067–2069 की जमाबन्दी में दर्ज है।

वादी अपने पति के साथ मेड़तारोड़ में निवास करते थे। वादी के पति गोकुल पुरी, दिनाँक 02.09.2005 को मेड़तारोड़ से जोधपुर गये थे जहाँ से वापस नहीं आये। वादी के पति रोलवे विभाग में नोकरी करता थे। वादी ने अपने पति की तलाश की मगर उनका कहीं से पता नहीं चला। वादी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट, दिनाँक 18.12. 2005 को पुलिसथाना मेड़तारोड़ में दर्ज करवाई। रिपोर्ट की नकल पेश है। वादी के पति का पता नहीं चलने के सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिसथाना मेड़तारोड़ ने लिखकर दिया है, नकल पेश है। वादी के पति की गुमशुदगी को वाद पेशगी तक 08 साल हो गये थे। कोई भी अगर 07 साल से लापता रहता है तो कानून में उसकी सिविल डेथ मानी जाती है, और इस प्रकार वादी के पति की सिविल डेथ हो चुकी है।

जब वादी के पति की सिविल डेथ हो जाती है तो वादी के पति गोकुल पुरी, के स्थान पर वाद की खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए।

गोकुल पुरी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने बाबत् वादी ने हल्का पटवारी से मिलकर निवेदन किया तो पटवारी ने इस हेतु मना किया। इसलिए वादी को यह दावा करना लाजमी आया है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी का संयुक्त पजेशन प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के साथ है।

वादी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है वादी अपने खातेदारी अधिकारों का उपभोग–उपभोग करने से महरूम रह रही है। इसलिए वादी को क्षति हो रही है।

उपर्युक्त सभी कारणों से वादग्रस्त गोकुल पुरी के हिस्से की भूमि की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जावे। वादी के हक में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04, 06 व 07 के विरूद्ध डिक्री किया जावे व गोकुल पुरी का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

बिनाय दावा दिनाँक 02.09.2005 को उत्पन्न हुआ जब, वादी का पति लापता हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.09 बीघा गैरमुमकिन बैरा व खसरा नम्बर 1486 रकबा 18.18 बीघा में दर्ज खातेदार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

गोकुल पुरी के हिस्से में, गोकुल पुरी का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम खातेदारी में घोषित की जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, सजरा खानदान परिशिष्ट "क", जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2066–2069 खेवट संख्या 334/288 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खतौनी जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2005–2025 नम्बर खाता 519 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी खेवट ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2010–2013 खतौनी की संख्या 516 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कंचनदेवी द्वारा पुलिसथाना मेड़तारोड़ को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की छायाप्रति, राजकीय रेवले पुलिसथाना मेड़तारोड़ की सूचना दिनाँक 16.11.2007 की छायाप्रति, पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण 05 गोकुल पुरी पुत्र जगन्नाथपुरी अपनी 45 वर्ष की उम्र, दिनाँक 02.09.2005 से लापता है। इनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने वाद में जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश किया।

न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प–छोटीखाटू में दिनाँक 30.05.2017 को पेश हुई। प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। वादी के पति दिनाँक 02.09.2005 से लापता है जिसके सम्बन्ध में वादी ने मेड़तारोड़ पुलिसथाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। गोकुल पुरी की सिविल डेथ होने का प्रमाण–पत्र वादी द्वारा पेश नहीं किया जाने के अभाव में वाद को खारिज किया गया था।

प्रकरण में वादी कुचनदेवी द्वारा, वाद में आदेश दिनाँक 30.05.2017 को अपास्त करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश हुआ। वादी द्वारा पेश उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर, वाद में वादी को सुनवाई का मौका पुनः देकर, वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया।

वाद में, प्रतिवादी गोकुल पुरी के पुत्र व पुत्रियों ने अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 गोकुल पुरी के कायम मुकाम– मंजूदेवी, विनोद पुरी, गोरी देवी व राकेश पुरी को, बतौर गोकुल पुरी के वारिशान्, प्रतिवादीगण बनाया गया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। वकील वादी दावा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रतिवादीगण संख्या 05 के, वादीगण वारिशान् हैं। जरिये वकील वादीगण अपने पिता/पति प्रतिवादी संख्या 05 गोकलपुरी के हिस्से की भूमि की खातेदारी चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 05 गुमशुदा है। ऐसी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–40/2017
दायर दिनाँक 11.03.2017, निणर्य दिनाँक 07.12.2017
कंचनदेवी बनाम् मोहनपुरी, वगैरा।

स्थिति में प्रतिवादी संख्या 05 के साथ, प्रतिवादी संख्या 05 के विधिक वारिशान् को सहखातेदारी दिया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.09 बीघा गैरमुकिन बैरा तथा खसरा नम्बर 1486 रकबा 18.18 बीघा में से, प्रतिवादी संख्या 05 गोकल पुरी के हिस्से में, प्रतिवादी संख्या 05 गोकल पुरी के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **07.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **40/2014** दायर दिनाँक **11.03.2014**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कंचनदेवी पत्नी गोकलपुरी, उम्र—47साल, 2. मंजूदेवी पुत्री गोकलपुरी, 3. विनोदपुरी पुत्र गोकलपुरी, 4. गोरीदेवी पुत्री गोकलपुरी, 5. राकेश पुरी पुत्र गोकलपुरी, समस्त,जाति—गुसाई, उम्र—47साल, निवासी—छोटीखाटू, हालि,निवासी—मेड़तारोड़, तहसील—मेड़ता, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोहनपुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—57साल, 2. रेवन्त पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—23साल, 3. लक्ष्मण पुरी, पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—41साल, 4. बरजी देवी पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—41साल, समस्त,जाति—गुसाई, निवासी—छोटीखाटू, बस स्टेण्ड के पास, छोटूखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. गोकल पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी जाति—गुसाई, निवासी—छोटी खाटू, हाल,निवासी—मेड़तारोड़, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. पटवारी, हल्का—छोटीखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **07.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खान, अधिवक्ता, वादीगण व श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.09 बीघा गैरमुकिन बैरा तथा खसरा नम्बर 1486 रकबा 18.18 बीघा में से, प्रतिवादी संख्या 05 गोकल पुरी के हिस्से में, प्रतिवादी संख्या 05 गोकल पुरी के साथ वादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत................ .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—40—2014 / रीडर / 2017 / 24 दिनाँक 3/1/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा—88, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कंचनदेवी पत्नी गोकलपुरी, उम्र—47साल, 2. मंजूदेवी पुत्री गोकलपुरी, 3. विनोदपुरी पुत्र गोकलपुरी, 4. गोरीदेवी पुत्री गोकलपुरी, 5. राकेश पुरी पुत्र गोकलपुरी, समस्त,जाति—गुसाई, उम्र—47साल, निवासी—छोटीखाटू, हालि,निवासी—मेड़तारोड़, तहसील—मेड़ता, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोहनपुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—57साल, 2. रेवन्त पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—23साल, 3. लक्ष्मण पुरी, पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—41साल, 4. बरजी देवी पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी, उम्र—41साल, समस्त,जाति—गुसाई, निवासी—छोटीखाटू, बस स्टेण्ड के पास, छोटूखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. गोकल पुरी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ पुरी जाति—गुसाई, निवासी—छोटी खाटू, हाल,निवासी—मेड़तारोड़, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. पटवारी, हल्का—छोटीखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner